



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1943 (श0)
(सं0 पटना 852) पटना, मंगलवार, 5 अक्टूबर 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2021

सं० एल0जी0-01-21/2021/5518/लेजः।—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

**[बिहार अध्यादेश संख्या-04, 2021]
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021**

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

प्रस्तावना।— चूँकि बिहार राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं हैं, और, चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण “बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014” (बिहार अधिनियम 13, 2014) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने हेतु उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अध्यादेश “बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021” कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-3(ii) का संशोधन :—
अधिनियम की धारा-3(ii) में “राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष होः” शब्दों के स्थान पर “राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी :” शब्द रखे जायेंगे।

3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-4 के पहले परन्तुक का संशोधन एवं धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद एक अन्य परन्तुक का जोड़ा जाना :—

(1) अधिनियम की इस धारा-4 के पहले परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

“परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, अध्यक्ष या किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा।”

(2) अधिनियम की धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगा :—

“परन्तु आयोग के अध्यक्ष का पद, रिक्त रहने की स्थिति में, अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, आयोग के वरीयतम सदस्य कार्यकारी व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सदस्य की वरीयता की गणना आयोग के सदस्य के रूप में योगदान की तिथि के आधार पर की जायेगी। ”

4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा- 5 का संशोधन :—
अधिनियम की धारा-5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा -

“ 5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा :—

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्यरत रहने की अवधि तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले हो, तक होगी।”

पटना
दिनांक :—01 अक्टूबर, 2021

फागू चौहान,
बिहार राज्यपाल।

भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना
दिनांक :—01 अक्टूबर, 2021

फागू चौहान,
बिहार राज्यपाल।

5 अक्टूबर 2021

सं० एल०जी०-01-21/2021/5519/लेजः।—बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को प्रख्यापित बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (बिहार अध्यादेश संख्या-04, 2021) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Ordinance No.-04, 2021]

Bihar Technical Service Commission (amendment) Ordinance, 2021

Bihar Technical Service Commission (amendment) Ordinance, 2021

to amend the Bihar Technical Service Commission Act, 2014

(Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time)

preamble :-

WHEREAS, The Legislature of the State of Bihar is not in session; AND, WHEREAS, The Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action to amend the "Bihar Technical Service Commission Act, 2014", (Bihar Act 13, 2014) in the manner hereinafter appearing;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article-213 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title, extent and commencement - (i) This Ordinance may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Ordinance, 2021".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(iii) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in Section-3(ii) of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) :- In Section-3(ii) of Said Act for the words "five officers of the state services appointed by the General Administration Department of the State Government whose minimum one year of service remain:" the words "five officers of the State services appointed by the General Administration Department:" shall be substituted.

3. Amendment in first proviso in Section-4 and addition of one another proviso in Section-4 of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014):-

(1) First proviso of Section-4 of the Act shall be substituted by the following:-

"provided that, in special circumstances, the tenure of chairman or a member shall be further that extended for that period as it may be determined by State Government"

(2) After second proviso of the Section-4 of Act following third Proviso shall be added:-

"Provided that in the case the post of chairman of the commission is vacant, till the regular appointment of the chairman, senior member of the commission will

discharge responsibility of the chairman under the executive order. Calculation of seniority of the member shall be calculated on the basis of date of joining as a member of the commission"

4. Amendment in Section-5 of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014):- Section-5 of Said Act shall be substituted as following:-

"5. Age limit of the chairman and members of the commission :-

Tenure as a chairman and member of the commission shall be 3 years or the age of 70 years, whichever is earlier"

Patna

Dated.-01st October, 2021

PHAGU CHAUHAN,

Governor of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 852-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>